उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 2667/VII-1/2018/68–रिट/08टीसी
देहरादून,दिनांक: 20 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1758/VII-1/16/68–रिट/2008, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, जिसमें कार्यालय ज्ञाप संख्या–1890/VII-1/16/68–रिट/2008, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा संशोधन किया गया है, में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की माननीय राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अध्याय–III के बिन्दु सं० 2(1)(ख) का संशोधन :–
उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये अध्याय–III के बिन्दु सं० 2(1)(ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् ;

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
अध्याय–III का बिन्दु सं० 2(1)(ख)– परन्तु जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं लालकुँआ में स्थित ऐसे स्टोन क्रेशर, जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हैं, को इस नीति के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर अपने स्टोन क्रेशर संयंत्रों को नई व्यवस्था के अनुसार संशोधित करना होगा।	**अध्याय–III का बिन्दु सं० 2(1)(ख)–** जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं लालकुंआ में स्थित स्टोन क्रेशरों को अन्य क्षेत्रों में स्थापित स्टोन क्रेशरों की भांति उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 प्रख्यापित होने के दिनांक से 05 वर्षों में अपने संयंत्रों को उक्त नीति, 2016 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6 "स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित सभी मानकों को पूर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि तक उक्त क्षेत्रान्तर्गत स्थापित स्टोन क्रेशरों को स्टोन क्रेशर परिसर के अन्तर्गत उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदत्त रहेगी।

2– कार्यालय ज्ञाप संख्या–1758/VII-1/16/68–रिट/2008 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1890/VII-1/16/68–रिट/2008, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा किये गये संशोधन के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त उक्त अनुज्ञा नीति, 2016 के शेष बिन्दु/प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव